

6/5/15


सम्पूर्ण कार्यकारी विभाग प्रशासनिक कार्य
के लिए है। विभाग प्रशासनिक कार्य
के लिए है। 25.11.15 को देना है।

3506-25

पत्रावली पर हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से
अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर
गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व
'अदम हाजिरी' में उच्चो स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखत दफतर
हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बाड़मेर